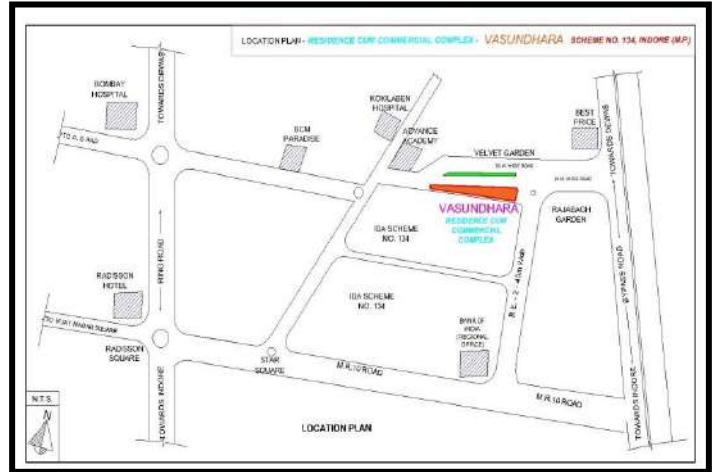


अपना घर पाने
का सुनहरा
मौका

योजना क्रमांक 134, नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में फ्री होल्ड पर 20 आवासीय उपयोग के प्लेट्स का फ्री-होल्ड पर लॉटरी प्रणाली से पंजीयन

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 134 नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में आवासीय उपयोग के 20 प्लेट्स का फ्री-होल्ड पर लाटरी प्रणाली द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करनेके लिये यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की प्राधिकरण शाखा तथा आय.सी.आय. सी.आय. बैंक इन्दौर की मालव परिसर शाखा से (बैंक कार्यालयीन समय में) रु.590 (जी.एस.टी. सहित) जमा कर आवेदन फार्म ले सकते हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आवेदन फार्म के साथ रु.590 (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट पृथक से आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र के साथ पंजीयन राशि का डी.डी./बैंकर्स चेक भी आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्र.	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्ग.मी.मे)	बिल्टअप एरिया (वर्ग.मी.मे)	कारपेट एरिया (वर्ग.मी.मे)	आरक्षण श्रेणी	प्रकोष्ठ की कुल किमत रु. लाख में	पंजीयन राशि /अर्नेष्ट मनी रु. लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1/बी.एच.के- 2	74.46 से 76.46	56.58 से 58.10	41.38 से 46.20	निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न	30.45 से 31.27	3.00 से 3.15
2	2/बी.एच.के- 14	98.59 से 134.25	74.92 से 91.90	57.70 से 73.35		40.32 से 54.90	4.00 से 5.50
3	3/बी.एच.के- 4	143.30 से 143.40	108.89 से 108.97	80.50 से 84.39		58.60 से 58.64	5.90



एम.आर-10 एवं बाय पास के समीप

50 प्रतिशत राशि जमा करने पर कब्जा

फ्री होल्ड प्रकोष्ठ

- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में जमा करना होगी तथा शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि 2 वर्ष की 8 त्रैमासिक किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ भुगतान करने की सुविधा रहेगी।
- आवेदन प्रस्तुतकर्ता को तालिका में क्रमांक 8 में उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) की राशि का डी.डी./बैंकर्स चेक भी आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।
- रेरा प्रोजेक्ट पंजीकरण क्रमांक P-IND-18-1944
- इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 914 दि. 04.09.2020 द्वारा काय पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020।

आवेदन प्रपत्र क्रय करने की तिथि
10.11.2020 से 28.11.2020 तक

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि
01.12.2020 सुबह 11.00 से 5.00 बजे तक

लॉटरी खोले जाने की तिथि व समय
05.12.2020 समय प्रातः 11.30 बजे

विज्ञापन क्रमांक:- 192 दिनांक:- 06.11.2020

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर



विज्ञापन से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करे - श्री शेखर पामेचा, सहा यंत्री 97555-59697,
श्री संजय गोयल, संपदा अधिकारी वर्ग-2, 98936-99194 श्री राजेश उपाध्याय, मार्केटिंग सेल 98936-99113
प्राधिकरण की वेबसाइट www.idaindore.org एवं IDA app भी देखे



इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक - 192

दिनांक - 06.11.2020

**योजना क्रमांक 134 में नवनिर्मित वसुंधरा
काम्पलेक्स में 1/2/3 बी.एच.के. के आवासीय
प्लेट्स (प्रकोष्ठ) को नियत मूल्य पर
पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी
के माध्यम से व्ययन हेतु आवेदन प्रपत्र**



“जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है”



आवेदक के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी के माध्यम से
संपत्ति के व्ययन हेतु आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक 192

दिनांक. 06.11.2020

आवेदन प्रपत्र मूल्य (जी.एस.टी सहित)रुपये 590 / –
अहस्तान्तरणीय (Non Transferable)

आवेदन प्रपत्र क्रमांक.....
आरक्षण श्रेणी.....

प्रति,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण
इन्दौर (म.प्र.)

आवेदक का नाम 1.....
2.....

आवेदक का
पासपोर्ट
आकार का
छाया चित्र
यहां चिपकाया
जाए

महोदय,

निवेदन है कि विज्ञापन क्रमांक 192 दिनांक. 06.11.2020 के अंतर्गत मेरे द्वारा चयनित इस प्रपत्र के बिन्दु क्र. 15 के विकल्पों के तहत नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व (Free-Hold) अधिकार पर निर्मित प्रकोष्ठ (Flat) आवंटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है :

01. आवेदक का नाम : 1.....
2.....
02. पिता/पति का नाम : 1.....
2.....
03. आवेदक की आयु :वर्ष
04. पूरा पता :
.....
पिनकोड.....
05. दूरभाष/मोबाईल नंबर/ई-मेल : (कार्यालय)(निवास)
ई-मेल.....
06. कुल वार्षिक आय : रुपये
07. यदि निजी व्यवसाय में हैं,तो उसका ब्यौरा:
दूरभाष/मोबाईल नंबर/ई-मेल : (कार्यालय)(निवास)
ई-मेल.....
08. निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार शपथ-पत्र (Affidavit) संलग्न है : हां/ नहीं
09. (अ) पंजीयन राशि का डी.डी./बैंकर्स : डी.डी./बैंकर्स चेक क्रमांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

चेक, इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में : दिनांक.....राशि रुपये.....
 बैंक का नाम.....

(ब) आवेदन प्रपत्र डाऊनलोड करने की : डी.डी./बैंकर्स चेक क्रमांक.....
 दशा में रु.590/-का डी.डी./बैंकर्स : दिनांक.....
 चेक, इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में : बैंक का नाम.....

10. मैं/हम आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरा/हमारा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम प्रकोष्ठ की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा/देंगे।
11. मैं/हम आश्वासन देता/देते हैं कि मैं/हम शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर, बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन करूंगा/करेंगे।
12. मैंने/हमने प्राधिकरण के प्रकोष्ठ के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे/हमें स्वीकार हैं।
13. मैंने/हमने मौके पर निर्मित संपत्ति का निरोक्षण कर लिया है, पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।
14. यदि आवेदन प्रपत्र के अंतर्गत दी गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे/हमारे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि को समपहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. निम्नांकित विकल्प क्रमांक 1 से 5 अनुसार लॉटरी के पाँचों चक्र (राउंड) में से किसी भी चक्र (राउंड) में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक मुझ मान्य होगा। अन्यथा विकल्प-6 अनुसार कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर मुझे स्वीकार होगा तथा मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।

(निम्न तालिका में आवेदक स्वयं चयनित प्रकोष्ठ क्रमांक का उल्लेख करें)

विकल्प क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक
1	
2	
3	
4	
5	
6	उक्त पाँचों चक्र (राउंड) के बाद शेष कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर मुझे स्वीकार होगा।

- अनुलग्नक : 1. पंजीयन राशि का डी.डी./बैंकर्स चेक
 2. डाऊनलोडेड आवेदन प्रपत्र का डी.डी./बैंकर्स चेक(यदि आवश्यक हो तो)
 3. निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति
 4. नोटरी प्रमाणीकृत शपथ-पत्र (Affidavit)
 5. आरक्षण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
 6. आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि
 7. बैंक रसीद

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व (Free-Hold) अधिकार पर व्ययन के लिये निबन्धन तथा शर्तें

एक : सामान्य शर्तें (General Terms)

1. सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्रारूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लिखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. विज्ञापन के अधीन प्रकोष्ठों के क्रमांक का आवंटन **नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी प्रणाली द्वारा** सम्पन्न किया जाएगा। लॉटरी के पाँचों चक्र (राउण्ड) में से किसी भी चक्र (राउण्ड) में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक आवेदक को मान्य होगा। अन्यथा विकल्प-6 अनुसार कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर आवेदक को स्वीकार होगा तथा आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।
3. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत इससे पूर्व नियत दर/मूल्य पर कोई प्रकोष्ठ की प्राप्ति नहीं की गई है।
4. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उस दशा में उसे इस संबंध में प्राधिकरण को लिखित में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
5. (अ) यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तारीख से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि आवेदक को लौटा दी जाएगी। आवेदन प्रपत्र का शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
(ब) यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित लॉटरी का आहरण किए जाने के उपरांत अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि को समपूत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. जहां किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होंगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति हेतु आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किय जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेनाधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
12	सांसद/विधायक के सदस्य के लिए	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

दो: भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात् शेष) राशि जमा करनी होगी।
2. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर रुपये 1000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध-पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात् शेष) राशि तथा अनुबन्ध-पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
4. जहां सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपरोक्त कंडिका 1 अनुसार भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध में उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो व्ययन नियम/व्ययन विनियम अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि में देय अधिमूल्य राशि पर 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगा।
5. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवेदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा आवेदन पंजीयन राशि को समपहृत कर सकेगा।
6. (अ) प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जमा उपरांत आवंटन पत्र में दर्शाई सुची अनुसार प्रीमियम की शेष 75 प्रतिशत राशि 08 किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ जमा करनी होगी।
(ब) संधारण राशि जमा करने का उल्लेख आवंटन पत्र में किया जावेगा।
(स) प्रकोष्ठ के प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर एवं निम्नानुसार संधारण शुल्क के भुगतान के पश्चात् ही कब्जा सौंपा जावेगा जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी :

(1) संधारण शुल्क :

(अ) इन्दौर नगर पालिका निगम के पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020 से अधिभोग प्रमाण पत्र (**Ocupancy certificate**) प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 22.09.2022 तक भवन के कामन सर्विसेस के रखरखाव एवं हाउस किपिंग, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि प्राधिकारी करेगा। जिस हेतु संधारण राशि रुपये 27.00 प्रतिवर्ग मी. प्रति माह देय होगी। 2 वर्ष की कुल संधारण राशि आवंटन के समय जमा करना होगी।

(ब) प्रकोष्ठ (**Flat**) के आंतरिक विद्युतिकरण का कार्य आवंटिती अपनी आवश्यकता अनुरूप स्वयं के व्यय पर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(2) पार्किंग सुविधा :

(अ) नवनिर्मित भवन में पार्किंग की सुविधा निःशुल्क रहेगी।

7. उपरोक्त बिंदु क्रमांक 6(अ) अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवेदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा आवेदन पंजीयन राशि को समपहृत कर सकेगा।
8. आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि प्राधिकरण संपत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई रकम वापस की जाएगी।
9. (अ) जहां राशि का भुगतान किश्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार किश्तों का भुगतान आवंटिती द्वारा न किए जाने की दशा में

आवेदक के हस्ताक्षर

अथवा व्ययन नियम 2018/व्ययन विनियम के अनुसार विस्तारित अवधि की समाप्ति पर आवंटिती को आवंटन निरस्त किये जाने का नोटिस संपदा अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।

- (ब) तथापि, यदि आवंटिती प्राधिकरण के आवंटन निरस्त करने का नोटिस प्राप्त होने के एक माह में विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार समस्त लंबित किशतें मय ब्याज एवं 10 प्रतिशत दांडिक ब्याज (संबंधित किशत की देयता तिथि से) का भुगतान कर देता है, तो संपदा अधिकारी आवंटन निरस्त करने का अपना नोटिस वापस ले सकेगा।

परंतु आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उक्त राशि हेतु एक वर्ष की 4 किशतों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी, किन्तु उक्त पर नियमानुसार 15 प्रतिशत विलंब ब्याज देय होगा।

- (स) तथापि, यदि उपरोक्त उपनियम (ब) के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम (अधिमूल्य) की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि समपहृत कर ली जाएगी तथा शेष मूलधन की राशि आवंटिती को लौटा दी जाएगी। आवंटिती को इस समपहृत की गई राशि पर ब्याज का दावा करने की पात्रता नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में जमा ब्याज अन्य इत्यादि की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
11. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बड़े हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन नियम 2018/व्ययन विनियम के अनुसार की जावेगी।
12. आवंटिती शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

तीन : संपत्ति को पूर्ण-स्वामित्व (Free-Hold) पर प्रदान करने संबंधी शर्तें

- (अ) सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है, जहां है" के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो)।
- (ब). कम्पलीशन/आक्युपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त होने एवं प्रीमियम (अधिमूल्य) की पूर्ण राशि एवं संधारण शुल्क, एवं अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी वर्ग-2 द्वारा संपत्ति क वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। ग्राही की अनुपस्थिति की दशा में संपत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है, ऐसा माना जावेगा। परंतु आवंटिती को पूर्ण-स्वामित्व अधिकार विलेख का निष्पादन पूर्ण अधिमूल्य की राशि की प्राप्ति के बाद ही किया जावेगा।
- अधिमूल्य (प्रीमियम) की सम्पूर्ण राशि एवं संधारण शुल्क, पार्किंग शुल्क (जहां आवश्यक हो) एवं अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा पूर्ण-स्वामित्व अधिकार विलेख (Free Hold Document)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से विलेख का पंजीकरण कराना होगा। आवंटिती अभिलेख के पंजीकरण से संबंध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर उक्त विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
- पूर्ण स्वामित्वधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
- जहां संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन (natural devolution of her ship)/वसीयत के अनुग्रह में चाहा गया हो तो वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

चार : आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन विनियम

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. आवंटिती सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।
3. (अ) कब्जा प्राप्ति के पश्चात् आवंटित प्रकोष्ठ की सुरक्षा एवं संधारण (रखरखाव) का उत्तरदायित्व आवंटिती का होगा।
(ब) इन्दौर नगर पालिका निगम के पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020 से अधिभोग प्रमाण पत्र (**Ocupancy certificate**) प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 22.09.2022 के पश्चात् परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हेतु पंजीकृत संस्था (रहवासी समिति) का गठन करना आवश्यक होगा।
(स) इन्दौर नगर पालिका निगम के पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020 से अधिभोग प्रमाण पत्र (**Ocupancy certificate**) प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 22.09.2022 के पश्चात् परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हेतु पंजीकृत संस्था (रहवासी समिति) द्वारा की जावेगी। इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।
4. आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
5. आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी कर के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू-स्वामी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
6. आवंटित प्रकोष्ठ एवं बहुमंजिला भवन दोनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकेगा। यदि पूर्व निर्मित संरचना का उल्लंघन कर परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, आवंटिती पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।
7. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहित उपयोग से पृथक् होना पाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, आवंटिती पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।
8. आवंटित प्रकोष्ठ एवं उसके परिसर की बाहरी विद्युत, स्वच्छता, पानी आदि व्यवस्था के परिवर्तन/परिवर्धन करते समय आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार सक्षम अधिकारियों को रहेगा।
9. बहुमंजिला भवन के कॉमन एरिया का व्यक्तिगत उपयोग अथवा अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा।

पांच : आवंटन का अन्तरण

व्ययन नियम, 2018 के नियम 36 के अंतर्गत मूल आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर आवंटन का अंतरण ऐसे व्यक्ति को कर सकेगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति उसी श्रेणी का सदस्य होगा, जिसके लिए उक्त सम्पत्ति को आरक्षित किया गया था। उक्त आवंटन से अंतरण का शुल्क जो कि अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि अथवा आवेदन करने की तिथि को प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन दर, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगा। ऐसे किसी भी अंतरण के संबंध में कोई भी अनुमति इसके आवंटन तारीख से छह माह की समाप्ति से पूर्व पदान नहीं की जाएगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

छह : अन्य निबन्धन तथा शर्तें

1. यदि आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा से संबंधित निबन्धन तथा शर्तों में तथा “मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम, 2018” के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उद्भूत होती है तो अन्तिम उल्लिखित उपबन्ध अभिभावी रहेंगे और आवंटिती पर बाध्यकारी होंगे।
2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का विशद्वोकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां व्ययन हेतु सम्पत्ति के प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्तें भी बाध्यकारी होंगी।
3. आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द “**प्राधिकरण (Authority)**” का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (Permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द “**आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी**” का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

सात : विशेष शर्तें

1. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। आवेदन प्रस्तुतकर्ताओं को समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वेबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी आवेदन दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि आवेदन प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से आवेदन प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के संबंध में पत्राचार ई-मेल आई.डी. पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।
2. योजना क्रमांक 134 में भूखण्ड क्रमांक आर.सी.-23 पर नवनिर्मित वसुंधरा काम्पलेक्स का रेरा पंजीयन क्रमांक P-IND-18-1944 है।
3. इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर के पत्र क्रमांक 914 दिनांक 04.09.2020 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण प्राप्त किया गया है।
4. इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर के पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 23.09.2020 द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

दिनांक

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक के हस्ताक्षर

(शपथ-पत्र रु. 100/- मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ-पत्र (Affidavit)

प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(assets) के लिए विहित

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :
मेरा नाम :
पिता/पति का नाम :
पता :
व्यवसाय :
आयु :
वार्षिक आय :
2. यह कि आवेदन के अन्तर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. यह कि मैंने निबंधन एवं शर्तें जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार है।
4. यह कि आवेदन के अन्तर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. यह कि प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत मूल्य के अंतर्गत अथवा किसी योजना के अधीन, किसी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत, जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित नहीं की गई है।
6. यह कि यह शपथ-पत्र इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 134 के अंतर्गत नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में नियत मूल्य पर पूर्ण-स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी प्रणाली द्वारा संपत्ति को क्रय करने हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

शपथकर्ता

:: सत्यापन ::

मैं, पिता/पति श्रीसत्यापित करता हूँ/करती हूँ, मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक ----- को सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता

1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक जानकारी

- (1) आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न आरक्षण श्रेणी की सूची में उल्लेखित आरक्षण श्रेणी एवं प्रकोष्ठ क्रमांक का चयन करें।
- (2) आवेदनकर्ता अपनी पसंद के पांच प्रकोष्ठ के क्रमांक आवेदन प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक-3 के बिंदु क्रमांक-15 में उल्लेखित तालिका में आवश्यक रूप से अंकित करें।
- (3) आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर आवेदनकर्ता अपना पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाएं।
- (4) आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक-2 एवं 3 में उल्लेखित समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करें।
- (5) आवेदनकर्ता यदि किसी विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तो उसे आरक्षण श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के जारी संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसकी विगत प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक-4 पर उल्लेखित है।
- (6) आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से पंजीयन राशि का डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है। पंजीयन राशि की विगत आवेदन प्रपत्र के संलग्न आरक्षण सूची में दर्शाई गई है।
- (7) आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।
- (8) आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक-10 पर दिये गये शपथ पत्र के प्रारूप अनुसार नोटरी से तस्दीक किया गया शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
- (9) आवेदनकर्ता अपने पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विज्ञापन में दर्शाई गई दिनांक को प्राधिकारी कार्यालय में कक्ष क्रमांक 105 में संपदा अधिकारी वर्ग-2 के समक्ष कार्यालयीन समय प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक करा सकेंगे।

आरक्षण श्रेणी	
---------------	--

- (10) (अ) अर्नेस्ट मनी का डी.डी./ बैंकर्स चेक : क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....
- (ब) यदि निविदा प्रपत्र डाउन-लोडेड है तो पृथक से डी.डी./बैंकर्स चेक : क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....
- (11) निविदा प्रपत्र क्रय करने की बैंक की रसीद
- (12) अन्य कोई दस्तावेज हो जैसे-आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./पेनकार्ड की प्रति

आवेदक के हस्ताक्षर



इन्दौर विकास प्राधिकरण INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक 192

दिनांक 06.11.2020

योजना क्रमांक 134 (वसुंधरा कॉम्पलेक्स) आर.सी.-23 पर नवनिर्मित आवासीय
प्रकोष्ठ की आरक्षण श्रेणी अनुसार सूची

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	1/2/3 बी.एच.के. प्रकोष्ठ	क्षेत्रफल			दुकान की कुल कीमत रु. लाख में	पंजीयन राशि लाख में
			(वर्गमीटर में)				
			कारपेट एरिया	बिल्टअप एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया		
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य श्रेणी के लिये							
1	A-101	1BHK	46.20	56.58	74.46	30.45	3.00
2	C-101	1BHK	41.38	58.10	76.46	31.27	3.15
3	B-201	2BHK	64.80	81.72	107.54	43.98	4.40
4	C-202	2BHK	62.23	81.88	120.92	49.45	5.00
5	C-203	2BHK	73.35	91.90	130.54	53.38	5.35
6	A-303	2BHK	58.70	74.95	98.63	40.33	4.00
7	C-301	2BHK	67.20	82.00	134.25	54.90	5.50
8	C-302	2BHK	62.66	91.86	130.49	53.36	5.35
9	C-402	2BHK	62.23	81.88	120.92	49.45	5.00
10	C-501	2BHK	67.20	82.00	134.25	54.90	5.50
11	B-303	3BHK	84.39	108.89	143.20	58.60	5.90
12	B-403	3BHK	80.50	108.97	143.40	58.64	5.90
13	B-503	3BHK	84.39	108.89	143.30	58.60	5.90
भूतपूर्व सैनिक/सेना के अधिकारी के लिये							
14	A-203	2BHK	57.70	74.92	98.59	40.32	4.00
अनुसूचित जाति के लिये							
15	B-202	2BHK	62.77	81.22	106.89	43.71	4.40
16	A-403	2BHK	57.70	74.92	98.59	40.32	4.00
सांसद/विधायक के लिये							
17	B-203	3BHK	80.50	108.97	143.40	58.64	5.90
पत्रकार के लिये							
18	B-301	2BHK	60.78	81.70	107.52	43.97	4.40
पिछड़ा वर्ग के लिये							
19	A-503	2BHK	58.70	74.95	98.63	40.33	4.00
प्राधिकरण कर्मचारी के लिये							
20	B-501	2BHK	60.78	81.70	107.52	43.97	4.40

आवेदक के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 192

दिनांक 06.11.2020

विज्ञापन क्रमांक 192 दिनांक 06.11.2020 के अंतर्गत योजना क्रमांक 134 वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित प्रकोष्ठों में नियत मूल्य पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार पर लॉटरी के माध्यम से चयन हेतु आवेदन प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 2 के बिंदु क्रमांक 15 में उल्लेखित तालिका के विकल्प क्रमांक 6 के संबंध में, मैं निम्नानुसार अपनी सहमति/असहमति प्रकट करता हूँ :

1— आवेदक का नाम : —————

2— मोबाईल नंबर : —————

3— पता : —————
—————

4— आवेदन प्रपत्र क्रमांक: —————

5— (अ) विकल्प 6 बाबद सहमति : ☐

(ब) विकल्प 6 बाबद असहमति : ☐

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

Disclaimer :- The soft furnishings, fixtures, furnitures and gadgets, shown in the brochure, are only indicative, They are not the part of the flats included in the flats included in the advertisement also the dimensions shown in the brochure are approximate.

आवेदक के हस्ताक्षर